



Neutral Citation No. -2026: AHC:126609

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19410/2026

शाहरीन

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: रमा शंकर मिश्रा

विपक्षी के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 7

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. यह जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 384/2026, अंतर्गत धारा 109(1), 132, 3(5), 3/25/27/35 तथा 8/20 एन.डी.पी.एस. अधिनियम, थाना-क्वार्सी, जनपद-अलीगढ़ में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदक एवं अन्य पाँच सह-अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज की गई है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चारों सह-अभियुक्त तथा वर्तमान आवेदक एक ही परिवार के सदस्य हैं। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक को दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से मिथ्या एवं आरोपित बरामदगी के आधार पर झूठा फँसाया गया है। आगे यह तर्क दिया गया कि पुलिस ने एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ी कि गश्ती दल को देखकर एक व्यक्ति भागने लगा। अभियोजन का आरोप है कि जब उसका पीछा किया गया, वह गाँव में प्रवेश कर एक मकान का दरवाजा खटखटाने लगा। तत्पश्चात एक महिला द्वारा दरवाजा खोला गया तथा, पुलिस दल के घर में प्रवेश करने पर सह-अभियुक्त आफताब के घर से 24 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह भी निवेदन किया गया कि समान परिस्थिति वाले सह-अभियुक्त आफताब को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 05.06.2026 को पारित आदेश के माध्यम से आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 19633/2026 में जमानत प्रदान की जा चुकी है। यह भी कहा गया कि आवेदक की भूमिका सह-अभियुक्त की भूमिका से भिन्न नहीं है, अतः, समानता के आधार पर आवेदक भी जमानत पाने का अधिकारी है। आगे यह तर्क दिया गया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे वर्तमान वाद में झूठा फँसाया गया है। आवेदक दिनांक 09.05.2026 से कारागार में निरुद्ध है। यह आश्वासन भी दिया गया कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध किया, किन्तु उपर्युक्त तथ्यों का प्रभावी खण्डन नहीं कर सके।

5. अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि सह-अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जमानत प्रदान की जा चुकी है, तथा मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मत है कि आवेदक जमानत प्राप्त करने हेतु आधार स्थापित किया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त मुकदमे में संलिप्त आवेदक- **शाहरीन** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं दो समान धनराशि के जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक जांच अथवा विचारण के दौरान किसी भी साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा किसी गवाह को भयभीत/प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।

(ii) आवेदक विचारण की कार्यवाही में बिना स्थगन की माँग किए पूर्ण रूप से सहयोग करेगा।

(iii) जमानत पर रिहा होने के उपरान्त आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा तथा कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

7. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन, जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा। बन्धपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास संबंधी प्रमाण-पत्रों का सत्यापन किया जाएगा।

10 जून, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(जय प्रकाश तिवारी, न्यायमूर्ति)

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।